लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 310 18 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात की खपत

310. डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में इस्पात की खपत विगत कुछेक वर्षों के दौरान बढ़ी है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस्पात की कुल मांग, उत्पादन, खपत एवं आयात का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;
- (ग) क्या इस्पात उद्योग विशेषतः छोटे एवं मध्यम इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से कठिनाई झेल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं:
- (घ) क्या सरकार का विचार इस्पात पर आयात शुल्क तथा लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में वृद्धि करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और
- (ङ) स्वदेशी इस्पात उद्योग के लिये लौह अयस्क के गैर-कानूनी निर्यात को रोकने और लौह अयस्क सहित कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): जी, हाँ।

(ख): विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फिनिश्ड इस्पात की कुल मांग, उत्पादन, खपत और आयात के ब्यौरे इस संबंध में दर्ज प्रतिशत वृद्धि के साथ नीचे दिये गये है:-

(आंकडे मिलियन टन में)

	भारत में पूर्ण फिनिश्ड		भारत में पूर्ण फिनिश्ड इस्पात की		भारत में पूर्ण फिनिश्ड इस्पात का	
	इस्पात का ब्रिकी हेतु		खपत		आयात	
	उत्पादन					
वर्ष	ब्रिकी हेतु	विगत वर्ष	वास्तविक खपत	विगत वर्ष की	आयात (एमटी)	विगत वर्ष की
	उत्पादन	की तुलना में	(एमटी)	तुलना में बदलाव		तुलना में बदलाव
	(एमटी)	बदलाव (%)		(%)		(%)
2014-15	92.16	5.1	76.99	3.9	9.32	71.0
2015-16	90.98	-1.3	81.52	5.9	11.71	25.6
2016-17	101.81	11.9	84.04	3.1	7.23	-38.3
स्रोतः जेपीसी						

- (ग): देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की आवश्यकता से अधिक है।
- (घ): सस्ते आयातों में वृद्धि के विरूद्ध घरेलू इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक उपचारी उपाय किये है यथा एंटी इंपिंग इ्यूटी और सेफगाई इ्यूटी, जिनकी वजह से आयातों में पर्याप्त कमी हुई है और कीमत वसूली में सुधार हुआ है।
- (इ.): लौह अयस्क के गैर कानूनी निर्यात को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क के खनन में क्रमश: 2011 और 2012 में प्रतिबंध लगाया है। बाद में, कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सीमा निर्धारित की गई थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाउन स्ट्रीम उद्योगों में मूल्य-वर्द्धन के लिए भारत में पर्याप्त लौह अयस्क उपलब्ध हो जाये, सरकार ने 58 प्रतिशत से अधिक लोहांश वाले ग्रेडों के लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत का यथा-मूल्य निर्यात शुल्क लगाया है। घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिए लौह अयस्क समेत कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 लागू किया है। सरकार ने लौह अयस्क के बेनिफिशिएसन और एग्लोमेरेशन पर अत्यधिक बल प्रदान करने तथा व्यापक अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी भी अधिसूचित की है।
